वित्तीय स्वीकृति-2017-18

संख्या-3/2018/1007/52-2-17-2(8)/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0, □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वसीका कार्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 51,75,000/- के सापेक्ष अवशेष धनराशि 0 25,75,500 की वित्तीय स्वीकृति।

□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे वित्त (आय-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/□□-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं वित्त (अ□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/□□-1-1190/□□- 2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में दिये □□□निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वसीका कार्यालय, लखनऊ के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित धनराशि रू0 65,25,500/-(रूपये पैसठ लाख पच्चीस हजार पाँच सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथम पाँच माहों के □□□ धनराशि रू0 25,99,500 (रूपया पच्चीस लाख निन्यानबे हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□□ में प्राविधानित धनराशि रू0 51,75,000 (इक्यावन लाख पच्हत्तर हजार) □□ □□□□□□ □□□□ के लिए जारी की उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि घटाने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 25,75,500 (रूपया पच्चीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ मात्र) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(□□□□ □)□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 □0	□□□ □□ □□ □□	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित □□□□	प्रथम 05 □□ हेतु स्वीकृत की □□□ □□□□	स्वीकृति हेतु □□□□ □□□□
1	2	3	4	5
1-	01-□□□	3522	1985.5	1536.5
2-	02-मजदूरी	5	2.1	2.9
3-	03-मंहगाई भत्ता	211	99.2	111.8
4-	04-यात्रा भत्ता	5	2.1	2.9
5-	06-अन्य भत्ते	300	125	175
6-	07-□□□□	5	2.1	2.9
7-	08-कार्यालय व्यय	28	11.7	16.3
8-	09-विद्युत व्यय	11	4.6	6.4
9-	11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	11	4.6	6.4
10-	12-कार्यालय फर्नीचर □□□□□□□□	500	208.4	291.6
11-	13-टेलीफोन पर व्यय	10	4.2	5.8
12-	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं	5	2.1	2.9
13-	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2	0.8	1.2
14-	45-अवकाश यात्रा व्यय	10	4.2	5.8
15-	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्र	100	41.7	58.3
16-	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	38	15.8	22.2
17-	49-चिकित्सा पर व्यय	120	83.3	36.7
18-	51-वर्दी व्यय	5	2.1	2.9
19-	52-पुनरीक्षित वेतन का □□□□(राजकीय)	287	--	287
	□□□	5175	2599.5	2575.5

रू0 25,75,500/- (रूपया पच्चीस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ मात्र)

2-(1)व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्ष अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया □□□□: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर ली जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाय कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व शासन की अनुमति प्राप्त की जाय।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के विरुद्ध वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(5) उक्त मदों पर होने वाले व्यय के संबंध में समय≤ पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप पत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्य-48 के लेखाशीर्षक लेखा शीर्षक-"2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय- 03-कार्यालय लखनऊ" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/-1-02/- 2017-231/2017दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/-1-348/- 2017-231/2017 दिनांक 20.03.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/-1- 1190/- 2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0

1- इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 □□□□□□□□

3- वसीकाधिकारी, वसीका कार्यालय, उ0प्र0, □□□□□

4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, □□□□□

5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□□

6- वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1/2

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) □□□□□-11

8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(□□□ □□□)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया □□□□: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।